भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1397

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

फूड पार्क की सुरक्षा

†1397. श्री पी. नागराजनः
श्री एस. सेल्वाकुमार चिन्नैयनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव के फूड पार्क सहित निजी कंपनियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी प्रदान किए जाते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आज की तारीख की स्थिति के अनुसार हरिद्वार में फूड पार्क सहित सीआईएसएफ द्वारा कुल कितनी निजी कंपनियों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है;
(घ) क्या इन निजी कंपनियों ने सीआईएसएफ की सुरक्षा के एवज में भुगतान के संबंध में सीआईएसएफ के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ग): पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्रा.लि. हरिद्वार सहित आठ (08) निजी संस्थापनाओं को सीआईएसएफ का सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। उनका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

क्र.सं.	इकाई का नाम
1.	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज बंगलौर (कर्नाटक)
2.	इलेक्ट्रोनिक्स सिटी बंगलौर (कर्नाटक)
3.	इंफोसिस टेक्नोलॉजीज मैसूर, (कर्नाटक)
4.	रिलायंस रिफाईनरी एंड पेट्रोकेमिकल, जामनगर (गुजरात)
5.	इंफोसिस टेक्लोलॉजीज लि., पुणे (महाराष्ट्र)
6.	कोस्टल गुजरात पावर लि. (सीजीपीएल), टुंडा, मुंद्रा (गुजरात)
7.	टाटा स्टील लिमिटेड, कलिंगनगर, जाजपुर (ओडिशा)
8.	पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क प्रा.लि., हरिद्वार (उत्तराखंड)

(घ): जी, हां।

(ड.): (i) सीआईएसएफ की तैनाती से संबंधित समस्त व्यय उपभोक्ता संगठन द्वारा वहन किया जाता है। (ii) सीआईएसएफ की टुकड़ी की तैनाती और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की लागत की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सीआईएसएफ और संबंधित संगठन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया जाता है।